भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
16.08.2012 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 624

परमाणु विद्युत केन्द्रों के अपशिष्ट उत्पादों का
निपटान करने के संबंध में जागरूकता

624. श्रीमती वसन्ती स्टान्ली:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुडनकुलम स्थित परमाणु विद्युत केन्द्र के अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने तथा इनका निपटान किए जाने हेतु कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या मंत्रालय अपशिष्ट उत्पादों के ढेर लगने से होने वाले अत्यधिक विकिरण और इसमें शामिल जोखिम पर विचार करते हुए गैर-सरकारी संगठनों और जनता के अन्य प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के लिए और जागरूकता कार्यक्रम चलाने हेतु आगे आएगा?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय
(श्री वी. नारायणसामी)

(क) अन्य किसी नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थल की तरह, कुडनकुलम परमाणु बिजलीघर में, कोई उच्च स्तर के अपशिष्ट सृजित होने की संभावना नहीं है। सृजित होने वाले विकिरणसक्रिय अपशिष्ट अनिवार्यत: निम्न स्तर के अपशिष्ट होंगे और जिनमें मध्यवर्ती स्तर के अपशिष्टों की बहुत कम मात्रा विद्यमान होगी। ऐसे ठोस अपशिष्टों की प्रमात्रा संहनन/ भस्मीकरण आदि द्वारा कम की जाएगी और उन्हें सीमेंट के आव्यूह में अनुकूलित किया जाएगा। स्थायी आव्यूह बनाने के लिए द्रव अपशिष्टों को संसाधित और सांद्रित किया जाएगा, तथा सीमेंट /बहुलक में स्थिर करके अचलीकृत किया जाएगा। रिएक्टर भवन की निर्वात वायु से विकिरणसक्रियता हटाने के लिए उसे बर्हि गैस क्लीन अप प्रणालियों के माध्यम से संसाधित किया जाएगा और उन्हें ऊंची चिमनियों द्वारा विसर्जित किया जाएगा। सीमेंट /बहुलक जैसे स्थायी आव्यूहों में अचलीकृत अपशिष्टों का निपटान स्थल पर विशेष रूप से निर्मित सतह समीपस्थ निपटान सुविधा के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई है और इस कार्य के लिए विकिरणसक्रियता के स्तर का लगातार मानीटरन किया जाएगा।

(ख) अपशिष्टों को सीमेंट /बहुलक के स्थायी आव्यूहों में अचलीकृत किया जाता है और इस सुविधा का लगातार मानीटरन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ये प्रक्रियाएं, विश्व में सभी नाभिकीय सुविधाओं में अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं और नियामक संबंधी निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करती हैं। स्थल पर भंडारित अचलीकृत अपशिष्टों से विकिरणसक्रियता के फैलने का कोई जोखिम नहीं है। वास्तव में, समय के गुजरने के साथ, अपशिष्टों की विकिरणसक्रियता का स्तर कम हो जाता है और संयंत्र के कार्यकाल की समाप्ति तक सामान्य स्तर तक पहुंच जाता है। अत: ऐसे अपशिष्ट उत्पादों को जमा करने के संबंध में, विकिरण के बहुत अधिक फैलने और उससे जुड़े जोखिम की परिकल्पना का कोई आधार नहीं है।

जहां तक नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के बारे में लोगों की आशंकाओं का संबंध है, केन्द्र सरकार द्वारा गठित प्रख्यात व्यक्तियों के विशेषज्ञ दल ने कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान पहले ही कर दिया है।

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के पास, ऐसी गलत आशंकाओं को दूर करने के लिए पब्लिक आउटरीच प्रयास करने हेतु एक समर्पित विंग भी है।

****